संख्याः– २८२ /VI(1)/2015–02(30)/2011 T.C.

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 04 फरवरी, 2015

विषयः–भवन मरम्मत के अन्तर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, अल्मोड़ा के छात्रावास की मरम्मत की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2928/VI(1)/2011–02(30)/2011, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 एवं आपके पत्र संख्या–341/2–6–652/2014, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन मरम्मत के अन्तर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, अल्मोड़ा के छात्रावास की मरम्मत की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु विभागीय भवन की मरम्मत मद में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राविधानित धनराशि ₹ 25.00 लाख में से धनराशि ₹19.27 लाख **(रूपये उन्नीस लाख सत्ताईस हजार मात्र)** व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2015 तक अवश्य कर लिया जाय।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

11– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय एवं फर्नीशिंग के कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही की जाय।

...2

12– कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–48–विभागीय भवनों की मरम्मत–24–वृहद् निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

14– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

15– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.150.22.60035 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्याः– 282 /VI(1)/2015–02(30)/2011 T.C., तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी,साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– आयुक्त कुमाऊँ मण्डल।
4– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, अल्मोड़ा।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।